RRECL

प्रशासनिक एवं प्रगति प्रतिवेदन

(2022-2023)

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम

www.energy.rajasthan.gov.in/rrecl

कुसुम कम्पोनेन्ट–ए के अन्तर्गत गाँव सानोली, अलवर में स्थापित 2 मेगावॉट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र

अनुक्रमणिका

क्र.स.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	निदेशक मंडल सूची	2
2.	गठन एवं गैर–परम्परागत ऊर्जा स्त्रोतों के विकास हेतु नीति की रूपरेखा	3
3.	सौर ऊर्जा	4–6
4.	पवन ऊर्जा	6–8
5.	हाईब्रिड ऊर्जा	8
6.	बायोमास ऊर्जा	9
7.	सोलर रूफटॉप पी.वी.कार्यक्रम	9
8.	ऊर्जा संरक्षण	10–11
9.,	स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण	12
10.	संगठनात्मक ढाँचा	13

List of Board of Directors as on 31.12.2022

S. No.	Name	Category
1.	Sh. Ashutosh Pednekar (I.A.S) Chairman, Rajasthan Renewable Energy Corporation Limited, Jaipur	Chairman
2.	Sh. Anil Dhaka(I.R.S) Managing Director, Rajasthan Renewable Energy Corporation Limited, Jaipur	Managing Director
3.	Sh. Naresh Kumar Thakral (I.A.S) Secretary to the Government, Finance (Expenditure) Department, GoR, Jaipur	Director
4.	Sh. Vishwa Mohan Sharma,(I.A.S) Joint Secretary to the Government, Revenue Department, GoR, Jaipur	Director
5.	Dr. Artika Shukla, (I.A.S) Jt. Secretary to the Government, Energy Department, GoR, Jaipur	Director
6.	Sh. A.K. Gupta, Advisor, Energy Department GoR, Jaipur	Director
7.	Sh. D.K. Sharma, Director (Technical), RREC	Whole time Director

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम गतिविधियों एवं योजनाओं की प्रगति एवं प्रशासनिक प्रतिवेदन

1. गठन

राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण (रेडा) को राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (आरएसपीसीएल) में विलय कर राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लि. नामक नया संगठन दिनांक 9 अगस्त 2002 को बनाया गया। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम राज्य मे गैर परम्परागत ऊर्जा स्त्रोतों से ऊर्जा उत्पादन एवं ऊर्जा क्षमता को प्रोत्साहन देने के लिए नोडल एजेन्सी है तथा ऊर्जा संरक्षण को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य नामित अभिकरण है।

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम राज्य में गैर परम्परागत ऊर्जा स्त्रोतों के उत्पादन को प्रोत्साहन प्रदान करने एवं राज्य सरकार एवं भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की योजनाओं को संचालित करने एवं इनके चहुंमुखी विकास के लिए अग्रणी भूमिका निभा रहा है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा संचालित की गई दिसम्बर, 2022 तक विभिन्न योजनाओं एवं गतिविधियों की प्रगति निम्नानुसार है :–

2. राज्य में गैर–परम्परागत ऊर्जा स्त्रोतों के विकास हेतु नीति की रूपरेखा

राज्य सरकार ने प्रदेश में गैरपरम्परागत ऊर्जा स्त्रोतों के माध्यम से ऊर्जा संयत्र स्थापित करने को उच्च प्राथमिकता दी है। इन स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा ''गैर–परम्परागत ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन को बढावा देने की नीति'' दिनांक 11.03.1999 को जारी की गई, इसके बाद राज्य सरकार द्वारा ''गैर–परम्परागत ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन को बढावा देने की नीति'' अक्टूबर 2004 में जारी की गई।

i. पवन ऊर्जा नीति तथा राजस्थान पवन एवं हाईब्रिड ऊर्जा नीति :–

''पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन को बढावा देने की नीति'' दिनांक 04 फरवरी 2000 जारी की गई। इस नीति को अप्रेल 2003 में पवन ऊर्जा नीति 2003 द्वारा बदला गया। तत्पश्चात पवन ऊर्जा नीति–2012 दिनांक 18.07.2012 को जारी की गयी थी। पवन ऊर्जा नीति में राज्य सरकार द्वारा अपनी अधिसूचना दिनांक 04.03.14 के माध्यम से अधिमान्य दरों पर आरपीओ सीमा तक (मार्च, 2016 तक) पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी थी। वर्ष 2019–20 में बजट घोषणा के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा राजस्थान पवन एवं हाईब्रिड ऊर्जा नीति 2019 दिनांक 18.12.2019 को जारी की गई।

ii. बायोमास ऊर्जा नीति :–

वर्ष 2009–10 में बजट घोषणा के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा बायोमास पॉलिसी 2010, 26 फरवरी 2010 को जारी की गई। बायोमास ऊर्जा नीति, 2010 में 02, जून 2016 के संशोधन से संयंत्र स्थापित करने की समयावधि को 24 माह से बढाकर 36 माह कर दिया गया है एवं वन विभाग द्वारा बायोमास ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग हेतु ऊर्जा वृक्षारोपण पर रॉयल्टी 60 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत कर दी गयी। परियोजना स्वीकृत होने के बाद आवश्यक स्वीकृतियों के लिये समयावधि 4 माह से बढा कर 8 माह कर दी गयी। भू राजस्व अधिनियम 2007 मे कृषि भूमि पर सौर व पवन ऊर्जा संयंत्रों की भॉति अब कृषि भूमि पर बायोमास आधारित ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिये भी भू उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होगी।

iii. सौर ऊर्जा नीति:–

राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा के विकास हेतु ''सौर ऊर्जा नीति–2011'' दिनांक 19.04.2011 को जारी की गई थी। तत्पश्चात् ''सौर ऊर्जा नीति–2014'' दिनांक 08.10.2014 को जारी की गयी। वर्ष 2019–20 में बजट घोषणा के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा राजस्थान सौर ऊर्जा नीति, 2019 दिनांक 18.12.2019 को जारी की गई।

3. सौर ऊर्जा

3.1 सौर ऊर्जा के माध्यम से मेगावॉट स्तर पर वर्षवार स्थापित क्षमता का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र.स.	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष में स्थापित (मेगावॉट)	संकलित कुल स्थापित क्षमता (मेगावॉट)
1.	2011–2012	193.50	198.50
2.	2012–2013	354.25	552.75
3.	2013–2014	172.75	725.50
4.	2014–2015	195.60	921.10
5.	2015–2016	362.25	1283.35
6.	2016–2017	500.55	1783.90
7.	2017–2018	495.56	2279.46
8.	2018–2019	794.97	3074.43
9.	2019–2020	1808.26	4882.69
10.	2020–2021	686.51	5569.20
11.	2021–2022	5120.15	10689.35
12.	2022–2023(upto Dec-22)	2842	13531.35

इस प्रकार राज्य में दिसम्बर 2022 तक **13531.35** मेगावॉट क्षमता के (Ground Mounted) सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की जा चुकी है। उल्लेखनीय है कि सौर ऊर्जा क्षमता स्थापना में राजस्थान आज देश मे प्रथम स्थान पर है।

3.2 पीएम कुसुम योजना के कम्पोनेन्ट–ए :–

पीएम कुसुम योजना के कम्पोनेन्ट–ए का क्रियान्यन राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा किया जा रहा है जिसके तहत 33/11 किलोवाट सब स्टेशनों की 5 किमी की परिधि में स्थित किसानों की बंजर/अनुपयोगी भूमि पर 0.5 मेगावॉट से 2 मेगावॉट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु प्राप्त 623 आवेदको जिनकी कुल क्षमता 722 मेगावॉट है, का चयन कर लिया गया है। अब तक 481 सोलर पावर जनरेटर (एसपीजी) के साथ 593 मेगावॉट क्षमता हेतु विद्युत क्रय अनुबंध किये जा चुके है। 62.5 मेगावॉट क्षमता के 47 संयंत्रो की स्थापना हो चुकी है।

3.3 सोलर पार्क कार्यक्रम :–

➢ **भड़ला सोलर पार्क :–**

भड़ला जोधपुर में 2245 मेगावॉट क्षमता का सोलरपार्क चार चरणों (फेज) में विकसित किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

i. **भड़ला सोलर पार्क फेज–प्रथम (65 मेगावॉट)** : भड़ला जोधपुर में राजस्थान सोलरपार्क डवलपमेंट कम्पनी, जो कि आरआरईसी की सहयोगी कम्पनी है, के द्वारा विकसित किया गया है एवं 65 मेगावॉट क्षमता की परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन प्रारम्भ हो चुका है।

ii. **भड़ला सोलर पार्क फेज–द्वितीय (680 मेगावॉट)** : भड़ला जोधपुर में राजस्थान सोलरपार्क डवलपमेंट कम्पनी जो कि आरआरईसी की सहयोगी कम्पनी है, के द्वारा विकसित किया गया है एवं समस्त 680 मेगावॉट क्षमता की परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन प्रारम्भ हो चुका है।

iii. **भड़ला सोलर पार्क फेज तृतीय (1000 मेगावॉट)** : IL&FS Energy एवं राज्य सरकार की जोइंट वेन्चर कम्पनी सौर्य ऊर्जा कम्पनी द्वारा विकसित किया गया है एवं समस्त 1000 मेगावॉट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किये जा चुके है।

iv. **भड़ला सोलर पार्क फेज चतुर्थ (500 मेगावॉट)** : पार्क मैसर्स अडानी रिन्युएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड, जो कि मैसर्स अडानी व राज्य सरकार के मध्य जेवीसी है, के द्वारा विकसित किया जा चुका है एवं समस्त 500 मेगावॉट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किये जा चुके हैं।

भड़ला सोलर पार्क में– प्रथम फेज राजस्थान सोलरपार्क डवलपमेंट कम्पनी द्वारा स्वयं के स्तर पर विकसित किया गया है तथा द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ फेज को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की सोलर पार्क योजना के अन्तर्गत विकसित किया गया है।

भड़ला सोलर पार्क, जोधपुर

- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की सोलर पार्क योजना के अन्तर्गत अन्य निर्माणाधीन सोलर पार्क्स का विवरण निम्नानुसार है:–

1. फलौदी–पोकरण सोलर पार्क (750 मेगावॉट) एसेल सौर्य ऊर्जा कम्पनी, जो कि एसेल इन्फ्राप्रोजेक्ट्स एवं राज्य सरकार की जोइंट वेन्चर कम्पनी है, के द्वारा विकसित किया जा रहा है। इस कम्पनी को 750 मेगावॉट क्षमता का सोलर पार्क विकसित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा 1393 हैक्टेयर भूमि आवंटित कर दी गई है। उक्त पार्क में 300 मेगावॉट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किये जा चुके है।
2. फतेहगढ़ फेज–1बी (1500 मेगावॉट) मैसर्स अडानी रिन्युएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड, जो कि मैसर्स अडानी व राज्य सरकार के मध्य जेवीसी है, के द्वारा विकसित किया जा रहा है। उक्त पार्क के विकास हेतु 3839 हैक्टेयर भूमि राज्य सरकार द्वारा आवंटित कर दी गई है। उक्त पार्क में 896 मेगावॉट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किये जा चुके है।
3. नोख सोलर पार्क,जैसलमेर (925मेगावॉट) राजस्थान सोलरपार्क डवलपमेंट कम्पनी (आरआरईसी की सहयोगी कम्पनी) के द्वारा सोलर पार्क विकसित किया जा रहा है। उक्त पार्क के विकास हेतु 1856.73 हैक्टेयर भूमि राज्य सरकार द्वारा आवंटित कर दी गई है। इस सोलर पार्क में 220/33kv के 4 जीएसएस एवं ट्रान्समिशन लाइन की स्थापना का कार्य राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेन्ट कम्पनी द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सड़क निर्माण एवं जल आपूर्ति प्रणाली का कार्य क्रमशः RSRDC एवं PHED द्वारा किया जा रहा है।
4. पूगल सोलर पार्क, बीकानेर (1450 मेगावॉट) राजस्थान सोलरपार्क डवलपमेंट कम्पनी (आरआरईसी की सहयोगी कम्पनी) के द्वारा विकसित किया जा रहा है।

4. पवन ऊर्जा

पवन ऊर्जा के माध्यम से मेगावाट स्तर पर विद्युत उत्पादन की वर्षवार स्थापित क्षमता का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र.स.	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष में स्थापित क्षमता (मेगावॉट)	कुल संकलित स्थापित क्षमता (मेगावॉट)
1	1999 से 2010–11 तक	–	1521.395
2	2011–2012	545.65	2067.045
3	2012–2013	632.00	2699.045
4	2013–2014	98.80	2797.845
5	2014–2015	523.50	3321.345
6.	2015–2016	685.50	4006.845
7.	2016–2017	285.70	4292.545
8.	2017–2018	16.00	4308.545
9	2018–2019	2.00	4310.545
10	2019–2020	0	4310.545
11.	2020–2021	27.1	4337.645
12	2021–2022	(–)2.1	4335.545
13	2022–23 (up to Dec-22)	106.6	4442.145

इस प्रकार राज्य में दिसम्बर 2022 तक 4442.145 मेगावॉट क्षमता के पवन ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की जा चुकी है।

- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 120 मीटर ऊँचाई पर किये गये अध्ययन के अनुसार राज्य में पवन ऊर्जा की अनुमानित क्षमता 1,27,756 मेगावॉट है।
- राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा स्वंय के 49.75 मेगावॉट क्षमता के पवन ऊर्जा संयत्र स्थापित किये गये है। जिनमें से 47.65 मेगावॉट क्षमता के पवन ऊर्जा संयत्र अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य कर रहे हैं तथा विगत चार वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के विद्युत उत्पादन का विवरण निम्नानुसार है:–

वित्तीय वर्ष	2.25 मेगावॉट क्षमता देवगढ (3x750) स्थापना तिथि 22.8.2000	2.10 मेगावॉट क्षमता फलौदी (6x350) स्थापना तिथि 15.4.2001	25 मेगावॉट क्षमता सोढा जैसलमेर (20x1250) स्थापना तिथि 28.6.2004	10.2 मेगावॉट क्षमता आकल जैसलमेर (17x600) स्थापना तिथि 5.4 MW 29.3.06 4.8 MW 27.5.06	10.2 मेगावाट क्षमता पोहरा, जैसलमेर स्थापना तिथि 28.03.10	संचित उत्पादन (यूनिट)
2018-19	1105020	2148570	29388160	3079600	4153916	39875265
2019-20	1090256	1843470	28744028	2643400	4817265	39138420
2020-21	1450226.1	1646340	24591163	1214200	3298253	32200187
2021-22	1830969	848820	22843001	4033200	3535527	33091517
2022-23 (up to Nov.22)	1134470	Dismantle	14935133	3602000	4075058	23746661

➢ निगम द्वारा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की प्रदर्शन परियोजना के तहत 1 मेगावॉट क्षमता का सौर ऊर्जा उत्पादन संयंत्र गांव फागी (जयपुर) में माह मार्च, 2012 को स्थापित किया गया है। उक्त सौर ऊर्जा संयंत्र का पूर्ण क्षमता से संचालन किया जा रहा है जिसके द्वारा विगत तीन वर्षो एवं वर्तमान वर्ष के विद्युत उत्पादन का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.स.	वित्तीय वर्ष	उत्पादन (यूनिट)
1.	2019–20	1486577
2.	2020–21	1466573
3.	2021–22	1282085
4.	2022–23(up to Nov.22)	808336

5. हाईब्रिड ऊर्जा नीति

हाईब्रिड ऊर्जा नीति द्वारा व्यापक स्तर पर पवन–सोलर हाईब्रिड परियोजनाओं को प्रोत्साहन मिलेगा जिससे पवन और सोलर संसाधनों, प्रसारण तंत्र व भूमि का अधिकतम व कुशल उपयोग किया जा सकेगा। पवन–सोलर हाईब्रिड प्रणाली अक्षय ऊर्जा उत्पादन में परिवर्तनशीलता को कम करने व बेहतर ग्रिड स्थिरता प्राप्त करने मे सहायक होगी। राज्य में अब तक 1690 मेगावॉट क्षमता के हाईब्रिड संयंत्र स्थापित किये जा चुके हैं।

Hybrid SECI- II 600 MW Project

33/220 kV Hybrid Pooling Substation

WTG's Installed

6. बायोमास ऊर्जा

अक्षय ऊर्जा के विभिन्न स्त्रोतों में बायोमास ऊर्जा भी एक स्वच्छ ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्त्रोत है। राजस्थान राज्य में बायोमास ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्त्रोत सरसों की तूड़ी व विलायती बबूल है। राज्य में अब तक 120.45 मेगावॉट क्षमता के 13 संयंत्र स्थापित किये जा चुके हैं जिसमें से 28 मेगावॉट क्षमता के 2 संयंत्र वर्ष 2012 से बन्द हैं। इसके अतिरिक्त 119.40 मेगावॉट क्षमता के 10 बायोमास संयंत्रों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

बायोमास संयंत्र, उनियारा

बायोमास संयंत्र, पदमपुर

7. सोलर रूफटॉप पी.वी. कार्यक्रम

7.1 सोलर रूफटॉप पावर जनरेशन स्कीम

अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा घरेलू रूफटॉप सयंत्रों की 45 मेगावॉट क्षमता की फेज–2 योजना का क्रियान्वयन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा देय अनुदान का लाभ देते हुए मार्च 2022 तक किया गया। वर्तमान में रूफटॉप योजना का संचालन राज्य के वितरण निगमों द्वारा किया जा रहा है।

7.2 RESCO Mode योजना

राज्य में राजकीय भवनों पर RESCO Mode में रुफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना हेतु दिनांक 21.10.2022 को 50 मेगावाट क्षमता हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई है।

8. ऊर्जा संरक्षण

- **ऊर्जा दक्षता में प्रदेश की विशिष्ठ उपलब्धियाँ :–**
  विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार एवं ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा जारी स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इन्डेक्स (State Energy Efficiency Index)-2021 में राजस्थान ने ऊर्जा दक्षता एवं संरक्षण के क्षेत्र में किये गये कार्यो के आधार पर देश में ''फ्रन्ट रनर'' श्रेणी में स्थान प्राप्त किया है।
- राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को ब्यूरों ऑफ एनर्जी एफिशिऐंसी विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ''स्टेट परफोरमेन्स श्रेणी में नेशनल एनर्जी कन्जरवेशन अवार्ड (NECA)-2022'' में सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है।

सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट

- **राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार :–**

  ऑडिटर, एनर्जी मैनेजर, व्यक्ति विशेष आदि को प्रोत्साहित करने हेतु राजस्थान सरकार द्वारा ऊर्जा संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिये ''ऊर्जा संरक्षण दिवस'' प्रतिवर्ष दिनांक 14 दिसम्बर को आयोजित किया जाता है एवं इस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभिन्न क्षेत्रों के उद्यमियों, एनर्जी ऑडिटर/मैनेजर, व्यक्तिगत, भवनों, संस्थानों इत्यादि श्रेणियों के अन्तर्गत पुरस्कार दिये जाते है। इसी श्रृंखला में दिनांक 14 दिसम्बर, 2022 को तेरहवॉ राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया ।

राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार – 2022, जयपुर

- **ऊर्जा दक्षता पर अन्य प्रमुख गतिविधियॉ :–**

  1. कृषि क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता के प्रति जागरुकता एवं प्रोत्साहन हेतु नोहर (हनुमानगढ), गुढामलानी (बाड़मेर) एवं फतेहपुर शेखावटी (सीकर) के कृषि विज्ञान केन्द्र में कृषकों हेतु ऊर्जा सरक्षण व ऊर्जा दक्षता पर प्रशिक्षण के कार्यक्रम आयोजित किये गये।
  2. राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म (फेसबुक, इन्सटाग्राम, टिवट्र, यू–ट्यूब) के माध्यम से ऊर्जा दक्षता एवं ऊर्जा संरक्षण पर जागरूकता हेतु कार्य किया जा रहा है।
  3. Bureau of Energy Efficiency (BEE) के सहयोग से विभिन्न क्षेत्र के एनर्जी आडिटर्स व एनर्जी मैनेजर्स, राजस्थान के नामित उपभोक्ताओं, MSME व जन साधारण हेतु ऊर्जा दक्षता पर webinar/कार्यशाला का आयोजन किया गया है
  4. RREC द्वारा ECBC Cell के माध्यम से विभिन्न विभागों हेतु ECBC-2020 एवं ECBC Rules, 2020 पर प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है

9. स्वीकृत,कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरणः—(31.12.2022)

S.N	Name of post	Sanctioned Post	Working	Vacant Post
1	Chairman (IAS)	1	1	-
2	Managing Director (IRS)	1	1	-
3	Director (Technical)	1	1	-
4	Director (Finance) cum CFO	1	1	-
5	Addtional Director	1	-	1
6	OSD	1	1	-
7	General Manaager (SE)	3	2	1
8	Project Manager (XEN)	7	6	1
9	Company Secretary	1	1	-
10	Personal Secretary	1	1	-
11	Public Relation Officer (PRO)	1	1	-
12	Technical Manager (AEN)	18	15	3
13	AAO	1	1	-
14	EDP Manager (Programmer)	1	-	1
15	Addi.Adm. officer	2	2	-
16	Personal Assistant	1	1	-
17	Deputy Manager (JEN)	8	8	-
18	Accountant/Jr.Accountant	3	2	1
19	Assistant Adm. Officer	3	3	-
20	Stenographer	4	3	1
21	Computer Operator	1	-	1
22	Informatic Assistant	2	-	2
23	Senior Assistant	9	9	-
24	Junior Assitant	7	2	5
25	Driver	5	1	4
26	Class-IV	9	6	3
	TOTAL	93	69	24

10. संगठनात्मक ढाँचा

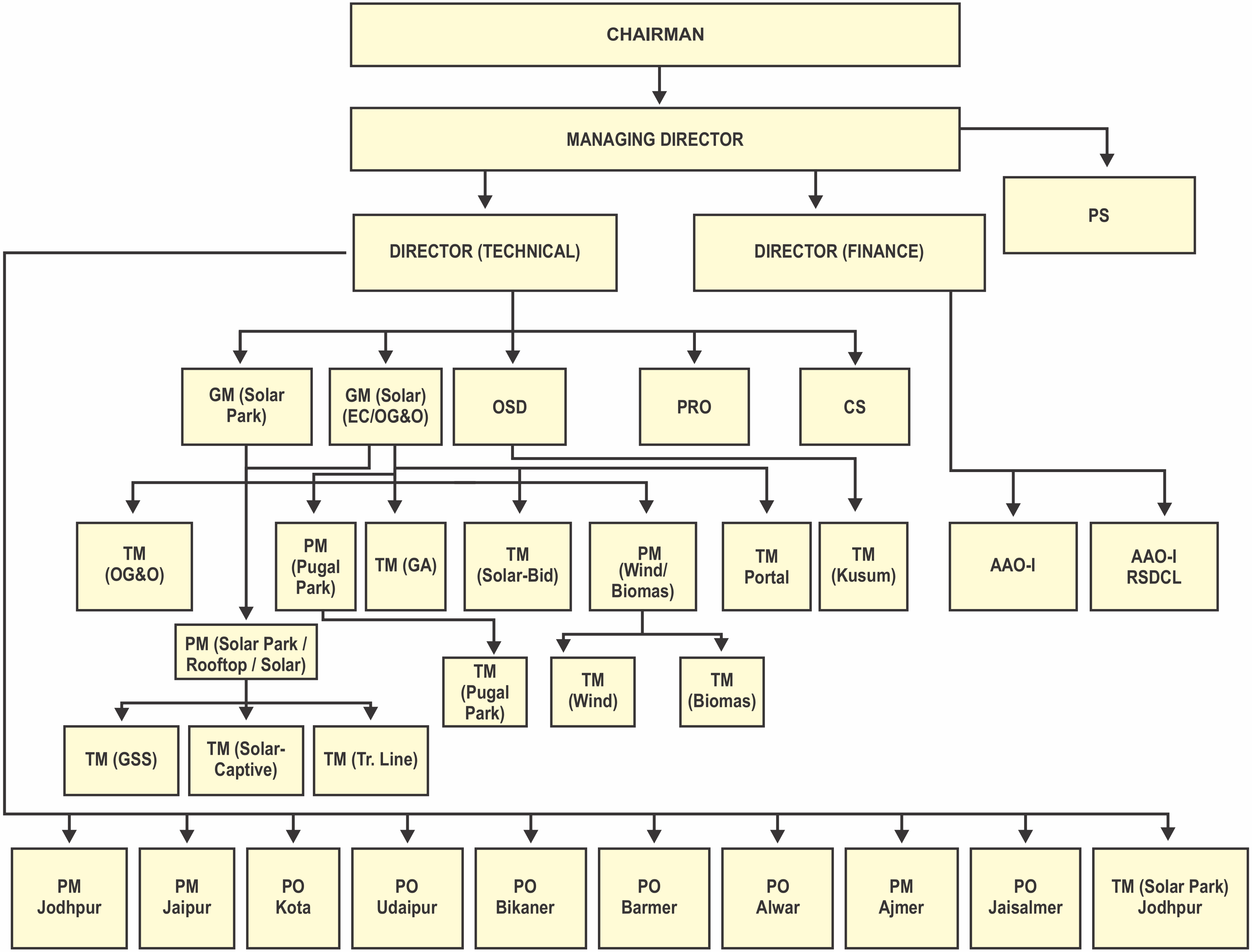

RRECL

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम

ई-166, युधिष्ठिर मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर
फोन - 0141-2229341, 2221650, फैक्स 0141-2226028
वेबसाइट : www.energy.rajasthan.gov/rrecl